

राजस्थान सरकार  
वित्त (राजस्व) विभाग


क्रमांक: प.1(1)वित्त/राजस्व/2014

जयपुर, दिनांक:-08.05.2026

आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 07.05.2026 द्वारा जारी आदेश को निरस्त किया जाकर श्रीमती रश्मि बानिया, उपनिदेशक ह.च.मा.रीपा, जोधपुर को पूर्व आदेश दिनांक 27.05.2025 द्वारा दिया गया लेखाधिकारी, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर का अतिरिक्त कार्यभार यथावत रखा जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(पवन जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय।
2. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. संबंधित अधिकारी।
5. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव